



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान  
National Institute of Design  
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt.of India)

क्रमांक—रा०डि०सं०म०प्र० / प्रशा / सूचना / १-७० / २०२२ / ०००१२

दिनांक 16.04.2022

प्रति,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

प्रसंग:-आपका ऑनलाइन अनुरोध प्रार्थना पत्र क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/22/00012 दिनांक 23.03.22 तथा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्य प्रदेश को प्राप्ति दिनांक 23.03.2022

महोदय,

01. उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के क्रम मे आपके द्वारा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश से चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना अनुलग्नक 1 में संलग्न है।

02. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8) (iii) की अनुपालना के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम तथा पत्राचार पता क्रमशः लेफिटनेंट कर्नल मनीष कुमार बहुगुणा,(सेवानिवृत्त), कुलसचिव, राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्य प्रदेश ग्राम अचारपुरा, पोस्ट अरवलिया, ईंट खेड़ी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश पिन कोड- 462038 है।



श्री कृष्ण

(श्री कृष्ण बिरमान)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्य प्रदेश

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्यप्रदेश  
National Institute of Design, Madhya Pradesh

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

01. सहायक लोक सूचना अधिकारी,  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्यप्रदेश :- कृपया सादर सूचनार्थ।



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान

National Institute of Design

मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

Ref no: NIDMP/1-90/2022

Date: 13.04.2022

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश  
 भोपाल

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना मुहैया कराने के सम्बन्ध में  
 श्री महोदय,

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक - रा. डि. सं. म. प्र./ सूचना अनुभाग /1-70/(3)/सूचना/2022 दिनांक

24/03/2022 के सन्दर्भ में आपको ये अवगत करना है की वंचित सूचना क्रमांक 1 से 3 तक का विवरण  
 आपके सूचनार्थ निम्नलिखित प्रस्तुत है।

क्रम सं	वांछित जानकारी
1	Please provide the name and designation of each member of the Anti-Ragging Committee and Squad in NID, Bhopal as per the clause 6.(3a) of the UGC Regulations on curbing menace of ragging in the Higher Educational Institutions, 2009.
प्रतिवचन	<p>संस्थान की रैगिंग रोधी समिति सह दस्ते के सदस्यों के नाम और पदनाम इस प्रकार हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. प्रो. धीरज कुमार, क्रियाकलाप अध्यक्ष (ई एंड टी)</li> <li>ii. सुश्री नीतिका देवगन, विद्यशाखा प्रमुख (एफएस)</li> <li>iii. श्री अमित कुमार गहलोत, विद्यशाखा प्रमुख (टीएडी)</li> <li>iv. डॉ. सुकन्या बोर सैकिया, विद्यशाखा प्रमुख (आईडी)</li> <li>v. श्री प्रमोद कुमार मार्शल, विद्यशाखा प्रमुख (सीडी)</li> <li>vi. डॉ. सुदीप शर्मा, प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष</li> <li>vii. श्री बिपुल कुमार बोरा, उप कुलसचिव</li> <li>viii. श्री टी. नवीन कुमार रेड्डी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी</li> </ul>
2	Please provide the dates, timing, and places of the surprise raids made by the Anti-Ragging Squad as per clause (d) of the regulation 6.3 of the above mentioned UGC regulation.



प्रतिवचन	<p>संस्थान की स्थापना वर्ष २०१९ में हुए थी और दिसंबर २०१९ से २०२० के बीच केवल प्रथम वर्ष के ही छात्र संस्थान में मौजूद थे, कोई भी वरिष्ठ छात्र संस्थान में मौजूद नहीं थे, वर्ष २०२० जब द्वितीय वर्ष के छात्रों का दाखला हुआ तो कोविड २०१९ की महामरी के कारण सभी छात्र ऑनलाइन पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अतः संस्थान में कोई भी छात्र मौजूद नहीं थे।</p> <p>अतः संस्थान में छात्र न होने के कारण कोई छापा नहीं मारा गया।</p> <p>19-22 फेब्रुअरी २०२२ में पहले बार प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र एक साथ संस्थान में आये थे और सभी ०१ मार्च २०२२ तक केंद्र, राज्य एवं संस्थान के कोविड अनुरूप नियमों के पालन के कारण कारंटाइन के नियमों का पालन कर रहे थे अतः छात्रों को अपने आवंटित कमरे से बहार आने की अनुमति नहीं थी और न ही किसी को हॉस्टल में जाने की अनुमति थी।</p> <p>१ मार्च २०२२ के पश्चात संस्थान के सभी शिक्षक, अधिकारी, एवं कर्मचारीगण नियमितरूप से अपने कार्यछेत्र के समीप एवं निगरानी रखते हैं और पुरे संस्थान का आकस्मिक दौरा नियमित रूप से करते हैं।</p>
3	Are freshers lodged separately in the Institution as per the clause 6.2(j) of the above mentioned UGC regulation.
प्रतिवचन	<p>संस्थान में छात्रों एवं छात्राओं को UGC के ६. (ज) के प्रावधान के अनुपालन के अनुरूप प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को भिन्न तल पर समायोजित किया गया है एवं कोविड अनुरूप नियमों के अनुपालन करते हुए प्रत्येक छात्र को एकल (सिंगल) रूम का आवंटन किया गया है।</p> <p>दोनों छात्रावास के वार्डन्स, कर्मचारी और सुरक्षा गॉर्ड समस्त छात्रों विशेष रूप से वरिष्ठ छात्रों पर सतत सख्त निगरानी रखते हैं।</p>



Signature  
Sadar  
30/04/2022  
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. कुलसचिव राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश  
02. कार्यालय प्रति

: कृपया सादर सूचनार्थ ।